संख्या- 187 /2026/ 2050 /चार-2026-1739761

प्रेषक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2026**

विषय:- अयोध्या में श्रावण मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 986/सं0नि0-15(36)/2025-26, दिनांक 17 जुलाई, 2026 तथा जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या- 160/मेला सहा0/श्रावण झूला मेला/ 2026, दिनांक 23 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15 अगस्त से 28 अगस्त, 2026 की अवधि में अयोध्या में श्रावण मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने के संबंध में संस्कृति निदेशालय में समिति की दिनांक 15 जुलाई, 2026 को सम्पन्न बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित विवरणानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु कलाकारों के मानदेय की संस्तुति प्रदान की गयी है:-

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम स्थल	कार्यक्रम	कलाकार/दल का नाम	कार्यक्रम की संख्या/श्रेणी	मानदेय (रु0 में)	अनुमानित किराया (रु0 में)	कुल योग (रु0 में)
1	20 अगस्त 2026	अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या।	कजरी गायन	पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव, मिर्जापुर। मो. 9794705119	(प्रथम/पद्मश्री), सदस्य 5–7	2,00,000	00	2,00,000
2			सावन पर आधारित लोकनृत्य	सुश्री सुमन यादव, अयोध्या। मो. 6306920864	(प्रथम/गैर श्रेणी), सदस्य 12–15	40,000	00	40,000
3			सावन पर आधारित गायन	सुश्री रीता शर्मा, अयोध्या। मो. 9839802666	(प्रथम/गैर श्रेणी), सदस्य 5–7	30,000	00	30,000
4			सावन पर आधारित नृत्य नाटिका	सुश्री प्रतिमा यादव, अम्बेडकर नगर। मो. 7355598960	(प्रथम/गैर श्रेणी), सदस्य 12–15	40,000	15,600	55,600
5			सावन पर आधारित गायन	सुश्री नलिनी त्रिपाठी, रायबरेली। मो. 6387260915	(प्रथम/बी श्रेणी), सदस्य 5–7	45,000	9,000	54,000
1	21 अगस्त 2026		सावन पर आधारित गायन	सुश्री विदुषी सुचिरिता गुप्ता, वाराणसी। मो. 9839247472	(प्रथम/टॉप श्रेणी), सदस्य 5–7	70,000	10,500	80,500
2			सावन पर आधारित	श्री शीतला प्रसाद वर्मा, अयोध्या। मो.	(प्रथम/बी श्रेणी), सदस्य 12–15	45,000	00	45,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

			लोकनृत्य	9935130553				
3			सावन पर आधारित गायन	सुश्री अन्नपूर्णा श्रीवास्तव, लखनऊ। मो. 8052780542	(प्रथम/बी ग्रेड श्रेणी), सदस्य 5–7	45,000	7,000	52,000
4			सावन पर आधारित नृत्य नाटिका	श्री सुगम सिंह शेखावत, गोरखपुर। मो. 9310803225	(प्रथम/एस.एन.ए. अवॉर्डी), सदस्य 12–15	70,000	25,000	95,000
5			सावन पर आधारित गायन	श्री शशि चतुर्वेदी, बाराबंकी। मो. 8299097713	(प्रथम/बी श्रेणी), सदस्य 5–7	45,000	5,000	50,000
6			उद्घोषक का मानदेय (दो दिवस 20–21 अगस्त 2026)			10000	00	10000
							योग (अ) -	**712100**

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 20–21 अगस्त, 2026 को अयोध्या में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मानदेय अतिरिक्त कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण निम्नवत् हैः -

क्र.	दिनांक	मद	धनराशि (रु0 में)
1	20–21 अगस्त, 2026	मंच की सजावट, ध्वनि, प्रकाश इत्यादि पर व्यय	1,70,000
2		टेंटेज व्यवस्था पर व्यय (सोफा, गद्दा, कुर्सी, दरी, चाँदनी आदि की व्यवस्था)	60,000
3		कलाकारों के आवास, भोजन एवं सूक्ष्म जलपान पर व्यय	2,20,000
4		कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु बैक ड्राप, बैनर, स्टैंडी, होर्डिंग, निमंत्रण पत्र इत्यादि पर व्यय	80,000
5		कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय	60,000
6		कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं विशिष्ट आगंतुकों के स्वागत हेतु बुके, अंगवस्त्र, मोमेंटो आदि पर व्यय	60,000
		योग (ब) -	**6,50,000**
		योग (अ) -	**7,12,100**
		कुल योग (रुपये तेरह लाख बासठ हजार एक सौ मात्र)	**13,62,100**

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 20 व 21 अगस्त, 2026 को अयोध्या में आयोजित श्रावण मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने हेतु कलाकारों के मानदेय हेतु **रू0 7,12,100.00** तथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं हेतु **रू0 6,50,000.00** अर्थात् कुल धनराशि **रू0 13,62,100.00 (रूपये तेरह लाख बासठ हजार एक सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>शर्तें / प्रतिबंध:-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9)उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10)धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(11)उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in